


17



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
दिनांक - 16/10 - II - 16
/2016 पुनरीक्षण

प्रकरण क्रमांक

श्री सुकेश कुमार
श्री.मि.अ.पु.व.श.
श्री.मि.अ.पु.व.श.
श्री.मि.अ.पु.व.श.
25-5-16

भीकम सिंह पुत्र सुजान सिंह गुर्जर
निवासी ग्राम-सीहोर नरवर,
जिला-शिवपुरी, म.प्र.

विरुद्ध



1. अवधरानी बेवा सुजान सिंह गुर्जर
2. कौशल कुमार
3. जण्डेल सिंह
4. शिशुपाल सिंह
5. हरी सिंह
6. सत्यभान सिंह
7. कपिल पुत्रगण सुजान सिंह गुर्जर
निवासी-सीहोर तहसील नरवर,
जिला-शिवपुरी म.प्र.
8. पपीता
9. धन्ती
10. सुनीता पुत्रीगण श्री सुजान सिंह गुर्जर
निवासी-ग्राम सीहोर तहसील-नरवर
जिला-शिवपुरी म.प्र.

अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 257/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 06-04-2016 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है-

1. यह कि, अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध व अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है.
2. यह कि, इस प्रकरण में विवादित भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण की संयुक्त खाते की भूमि है अनावेदक-1 ने संहिता की धारा-178 के अंतर्गत बंटवारे हेतु आवेदन

25/5/16

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1610-दो/2016

जिला शिवपुरी

भीकमसिंह

विरुद्ध

अवधरानी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06-8-2019	<p>आवेदक अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी उपस्थित। उनके द्वारा तर्क किया कि यह प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग के अंतरिम आदेश दिनांक 06-4-2016 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपर आयुक्त ने आवेदक का स्थगन आवेदन अमान्य किया था। चूंकि अब अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण में अंतिम आदेश हो चुका है अतः अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इनफ्रक्चुअस हो जाने से समाप्त की जाये।</p> <p>2/ प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर के अंतरिम आदेश 06-4-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी। आवेदक अभिभाषक के अनुरोध स्वीकार करते हुये प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p>(जे 0के0 जैन) सदस्य</p>